|| श्री:||

सिविल रिवीजन प्र.क्रं. : -----/18

प्रस्तुति दिनांक : 18-12-2018

22-1-

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, म0प्र0(ग्वालियर) कैम्प इन्दौर केसमक्ष

निगरानी - 6513/2018/धार/भू.रा.

(18)

1.
सुभाष अवयस्क, पालनकर्ता दादी
लाड़कीबाई, जाति- भिलाला
2. लाड़कीबाई बेवा गणपत जाति भिलाला
निवासी: ग्राम रेक्टी, तेहसील कुक्षी
जिला धार (म0प्र0) ----- रिवीजनकर्तागण

विरूद्ध

1.
रामकुंवरबाई पिता गणपत, जाति भिलाला
2. सोमलीबाई उर्फ सुमनबाई, पिता गणपत
जाति भिलाला,
3. गजबाई पिता गणपत, जाति भिलाला
सभी निवासी: ग्राम रेक्टी, तेहसील कुक्षी
जिलाधार (म0प्र0) ----- अनावेदकगण

Sulabh Samaiya Adv.

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत ।

रिवीजनकर्तागण तर्फे नम्र निवेदन है कि:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

//1// यह कि, अपीलार्थीगण/रिवीजनकर्तागण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, वही क्षेत्र जिला धार के प्रकरण क्रमांक 13/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 15-06-2018 से असन्तुष्ट होकर म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 42(2) के अन्तर्गत अपील माननीय अधिनस्थ न्यायालय (अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष) प्रस्तुत की गयी थी जिसका प्रकरण क्रमांक: 0052/अपील/2018-19 हैं । जो कि समय अवधि की परिसीमा अनुसार 79 दिवस पश्चात् प्रस्तुत किये जाने से उक्त अपील अवधि बाधित होने से निरस्त की गई हैं ।

अविरत..2.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6513/2018/धार/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	आवेदकगण की ओर से श्री सुलभ समैया, अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 (2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	